रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082020-221323
CG-DL-E-24082020-221323

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] **नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2020/भाद्र 2, 1942**
No. 417] **NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2020/BHADRA 2, 1942**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,24 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 523(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 में,-

(i) नियम 6 के उपनियम (3) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखइत परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"परंतु यह और कि नियम 9 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम 3(क) के अधीन रियायत के मद्दे संदेय फीस का संदाय स्मार्ट कार्ड के माध्यम से या फास्टैग या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडेर) या किसी ऐसी अन्य युक्ति के माध्यम से किया जाएगा ।"।

(ii) नियम 9 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम (1) रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, नियम 9 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पथकर प्लाजा पार करने के लिए बहुयात्रा का उपबंध करेगा।"।

(ख) उपनियम (2) में, " ऐसे पास का चयन कर सकता है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपनियम (3) में, "ऐसा कोई व्यक्ति, जो गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए" शब्दों के पश्चात्, "विधिमान्य क्रियाशील फास्टैग के साथ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपनियम (3क) में, "विशेष जिले के पते पर पंजीकृत" शब्दों के पश्चात्, "विधिमान्य फास्टैग के साथ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एच-25016/01/2020-टोल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010; सा.का.नि. सं. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. सं. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011; सा.का.नि. सं. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर; 2013, सा.का.नि. सं. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014; सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014; सा.का.नि. सं. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; सा.का.नि. सं. 585(अ), तारीख 8 जून; 2016, सा.का.नि. सं. 1114(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2016; सा.का.नि. सं. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017; सा.का.नि. सं. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.नि. सं. 427(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2018; सा.का.नि. सं. 942(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2019 और सा.का.नि. सं. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2020

G.S.R. 523(E).– In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection), Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, –

(i) in rule 6, in sub-rule (3) after the third proviso the following proviso shall be inserted, namely :- ,

"Provided further that the fee payable towards discounts as under sub-rules (2), (3) and (3A) of rule 9, shall be paid through pre-paid instruments, smart card or through FASTag or on board unit (transponder) or any other such device."

(ii) in rule 9,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule (1) shall be substituted, namely:-

"(1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, provide for multiple journey to cross a toll plaza within the specified period at the rates specified in sub-rule(2) of rule 9.";

(b) in sub-rule (2), the words "may opt for such pass" shall be omitted;

(c) in sub-rule (3), after the words "A person who owns a mechanical vehicle", the words, "with valid functional FASTag," shall be inserted;

(d) in sub-rule (3A), after the words and brackets "A person who owns a commercial vehicle(excluding vehicle plying under National Permit)", the words "with valid functional FASTag," shall be inserted.

[F.No. H-25016/01/2020-Toll]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* number G.S.R. No. 950 (E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756 (E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. No. 778 (E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. NO. 26 (E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831 (E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 2(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585 (E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. No. 1114 (E), dated 2nd December, 2016, G.S.R. No. 248 (E), dated 14th March, 2017, G.S.R. No. 427 (E), dated the 7th May, 2018, G.S.R. No. 427 (E), dated 25th September, 2018, G.S.R. No. 942(E) dated 20th December, 2019 and G.S.R. No. 298(E) dated 15th May, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA